



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266292
CG-DL-E-22092025-266292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 614]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि.691(अ).— निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को भेजा जा सकता है;

केंद्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को दूरसंचार (प्रयोक्ता पहचान) नियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

- (क) “आधार संख्या” का अभिप्रेत आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) के अंतर्गत दिया गया है;
- (ख) “आधार संख्या धारक” इसका अभिप्रेत वही होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (ख) के अंतर्गत दिया गया है;
- (ग) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
- (घ) “बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन प्रणाली” या “बीआईवीएस” का अभिप्रेत नियम 6 के अनुरूप किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान के लिए एक प्रणाली है;
- (ङ) “व्यावसायिक कलेक्शन” का वही का अभिप्रेत है जो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 46 के उप-नियम (1) के खंड (क) में दिया गया है;
- (च) “व्यावसायिक प्रयोक्ता” का वही अभिप्रेत है जो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 46 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में दिया गया है;
- (छ) “सीएएफ” का वही अभिप्रेत है जो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (व) के अंतर्गत दिया गया है;
- (ज) “मुख्य बायोमेट्रिक सूचना” का अभिप्रेत आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (जे) के अंतर्गत दिया गया है।
- (झ) “डी-केवाईसी” या “डिजिटल केवाईसी” का अभिप्रेत नियम 7 के अनुसार प्रयोक्ता के नामांकन और पहचान के लिए डिजिटल प्रक्रिया है और डी-केवाईसी प्रक्रिया को तदनुसार समझा जाएगा;
- (झ) “ई-केवाईसी” का अभिप्रेत आधार (अधधप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (जे) में परिभाषित “ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा” है और ई-केवाईसी प्रक्रिया को तदनुसार समझा जाएगा;
- (ट) “अंतिम प्रयोक्ता” का वही अभिप्रेत है जो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 46 के उप-नियम (1) के खंड (ग) में दिया गया है;
- (ठ) “लाइव फोटोग्राफ” का अभिप्रेत है दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नामांकन के दौरान प्रयोक्ता का वास्तविक समय का फोटोग्राफ, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, यह सत्यापित करने में सक्षम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कि छवि नामांकन के समय शारीरिक रूप से मौजूद एक जीवित व्यक्ति की है, न कि ऐसे प्रयोक्ता की स्थिर छवि या वीडियो की तस्वीर;
- (ड) “अधिसूचित दूरसंचार सेवाएँ” से अभिप्रेत है ऐसी दूरसंचार सेवाएं जिन्हें अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;
- (ढ) “प्वाइंट आफ सेल” या “पीओएस” का वही अभिप्रेत है जो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के अध्याय 6 के भाग बी में दिया गया है;
- (ण) “पोर्टल” से अभिप्रेत नियम 15 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल से है;
- (त) “सिम” का वही अभिप्रेत है जो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (बीबीबीबी) में दिया गया है;
- (थ) “सब्सक्राइबर डाटाबेस रिकॉर्ड” या “एसडीआर” का वही अभिप्रेत है जो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (डीडीडीडी) के अंतर्गत इसे समुद्रेशित किया गया है;

(द) “यूआईडीएआई” का अभिप्रेत आधार(वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से है; और

(ध) “दूरसंचार सेवाओं का अद्यतन” का वही अभिप्रेत है जो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (iii) में समनुदेशित है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित होंगे जो उन्हें अधिनियम या ऐसे नियमों में दिए गए हैं।

3. प्रयोज्यता

(1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:

(क) अधिसूचित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई, चाहे ऐसी इकाई के पास अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्राधिकरण हो या अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार लाइसेंस हो, जिनमें से प्रत्येक को इन नियमों के प्रयोजन के लिए “प्राधिकृत इकाई” कहा जाएगा;

(ख) अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ता।

4. सिद्धांत और उद्देश्य

(1) ये नियम अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ताओं की बायोमेट्रिक आधारित पहचान के लिए एक फेमवर्क प्रदान करते हैं।

(2) प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ताओं के नामांकन और पहचान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करेगी:

(क) आधार संख्या धारक प्रयोक्ता के संबंध में नियम 5 के अंतर्गत ई-केवाईसी प्रक्रिया; और

(ख) नियम 7 के अंतर्गत डी-केवाईसी प्रक्रिया, ऐसे प्रयोक्ता के संबंध में जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो नियम 5 में निर्धारित ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरने में असमर्थ है।

(3) जबकि ई-केवाईसी प्रक्रिया स्वयं प्रयोक्ताओं की बायोमेट्रिक आधारित पहचान सुनिश्चित करती है, एक प्राधिकृत इकाई डी-केवाईसी प्रक्रिया के लिए नियम 6 और नियम 7 के अनुरूप बीआईवीएस का उपयोग करके प्रयोक्ताओं की पहचान करेगी।

(4) इन नियमों में जहां भी डी-केवाईसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, वहां नियम 6 और नियम 7 के अनुसार बीआईवीएस के माध्यम से प्रयोक्ताओं की बायोमेट्रिक आधारित पहचान की जाएगी।

(5) ये नियम अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ताओं की बायोमेट्रिक आधारित पहचान तक सीमित है और दूरसंचार सेवाओं के किसी भी सक्रियण के लिए एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 45 के अनुसार या इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी निदेश, प्रक्रिया या निर्देशों के अनुपालन द्वारा करेगी।

(6) जहां प्रयोक्ता एक व्यावसायिक प्रयोक्ता है जो व्यावसायिक कनेक्शन चाहता है, वहां एक प्राधिकृत इकाई ऐसे व्यावसायिक प्रयोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ ऐसे व्यावसायिक कनेक्शन के प्रत्येक अंतिम प्रयोक्ता की, जहां लागू हो, बायोमेट्रिक आधारित पहचान करेगी।

बशर्ते यह कि व्यवसाय कनेक्शन के प्रत्येक अंतिम प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान की आवश्यकता को मामला-दर-मामला आधार पर छूट दी जा सकती है और इस प्रयोजन के लिए, व्यवसाय प्रयोक्ता का प्राधिकृत प्रतिनिधि केंद्रीय सरकार या उसकी प्राधिकृत एजेंसी को आवश्यक औचित्य के साथ अनुरोध करेगा।

5. ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोक्ता का नामांकन और पहचान

(1) प्रयोक्ता, जो आधार संख्या धारक है, के ई-केवाईसी प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए, एक प्राधिकृत इकाई को:

(क) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) और उसके तहत विनियमों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करना;

(ख) डेटा संरक्षण के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार, प्रयोक्ता की सहमति प्राप्त करना:

(i) केंद्रीय सरकार एक व्यक्ति की द्वारा निर्दिष्टानुसार लाइव फोटोग्राफ या कोई अन्य जैविक गुण क्लिक करना; और

(ii) यूआईडीएआई से प्राप्त लाइव फोटोग्राफ और पूर्ण आधार संख्या सहित सूचना को, मूल बायोमेट्रिक सूचना के अलावा, सीएएफ और एसडीआर में पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप और तरीके से संग्रहीत करना।

(2) प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट निदेशों या अनुदेशों के अनुसार, प्रयोक्ताओं को ऐसी प्राधिकृत इकाई की प्रासंगिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर स्व-केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग करके उप-नियम (1) के तहत निर्धारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया का अनुपालन करने की अनुमति भी दे सकती है।

(3) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी निर्देश या अनुदेश का भी अनुपालन करेगी।

6. बायोमेट्रिक पहचान स्थापन प्रणाली की स्थापना और कार्य

(1) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, अधिसूचित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से पहले, किसी व्यक्ति की लाइव फोटोग्राफ या कोई अन्य जैविक विशेषता, जैसा कि पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से या अन्य प्राधिकृत इकाईयों के साथ सामूहिक रूप से, प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान के लिए बीआईवीएस की स्थापना, संचालन, रखरखाव और विस्तार करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत स्थापित बीआईवीएस, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निदेशों और मानकों, जिनमें सुरक्षा से संबंधित मानक भी शामिल हैं, का अनुपालन करेगा।

(3) प्रत्येक प्रयोक्ता को, नियम 4 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के लिए नामांकन करते समय या पहले से सब्सक्राइब की गई दूरसंचार सेवाओं को अद्यतन करते समय, बीआईवीएस में एक अद्वितीय प्रयोक्ता-आईडी सौंफी जाएगी, जिसका उपयोग एक प्राधिकृत इकाई द्वारा केवल प्रयोक्ता की पहचान करने और उप-नियम (4) के खंड (ख) के अनुसार कनेक्शनों की संख्या को अद्यतन करने के उद्देश्य से किया जाएगा:

वर्तमान यह कि केंद्रीय सरकार प्राधिकृत इकाईयों को बीआईवीएस में विशिष्ट यूजर-आईडी आवंटित करने का निदेश दे सकती है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, एसडीआर में मौजूदा प्रयोक्ताओं के लिए और प्राधिकृत इकाईयां इसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसे निदेशों का पालन करेंगी।

(4) प्राधिकृत इकाई को बीआईवीएस के संबंध में निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:

(क) पोर्टल पर समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नाम, लिंग, जन्म तिथि, लाइव फोटोग्राफ, विशिष्ट प्रयोक्ता आईडी और अन्य कोई जानकारी से संबंधित प्रयोक्ता जानकारी को संग्रहीत और अनुरक्षित रखना;

(ख) सभी प्राधिकृत इकाईयों द्वारा प्रयोक्ता को प्रदान की गई प्रत्येक प्रकार की अधिसूचित दूरसंचार सेवा के कनेक्शनों की संख्या को संग्रहीत, अनुरक्षित और अद्यतन करना;

(ग) एन्क्रिप्शन और एक्सेस नियंत्रण बनाए रखना जो यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी जानकारी अखंडनीय और अपरिवर्तनीय है;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी सूचना तक पहुंच केवल ऐसे प्राधिकृत इकाईयों तक ही सीमित हो, जिन्होंने उप-नियम (1) के तहत बीआईवीएस की स्थापना की हो;

- (ङ) बीआईवीएस पर किए गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि ऐसा डेटा सुरक्षित एवं संरक्षित तरीके से संग्रहीत किया जाए; और
- (छ) किसी अन्य प्राधिकृत इकाईयों द्वारा गैर-अनुपालन या बीआईवीएस में संग्रहीत सूचना में विसंगतियों का पता लगाना तथा इन नियमों या इस संबंध में केंद्रीय सरकार के किसी अन्य निदेश का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
- (5) प्राधिकृत इकाई को बीआईवीएस के माध्यम से प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान की प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी निदेश और अनुदेश का अनुपालन करना होगा।
- (6) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, बीआईवीएस में किसी प्रयोक्ता को प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या को अद्यतन करते समय, अपने मौजूदा दूरसंचार पहचानकर्ताओं के माध्यम से ऐसे प्रयोक्ता को कनेक्शनों की ऐसी अद्यतन संख्या के बारे में सूचित करेगी।
- (7) बीआईवीएस में प्राधिकृत इकाई द्वारा रखी गई प्रयोक्ता जानकारी को अन्य सभी प्राधिकृत इकाईयों के साथ साझा किया जाएगा, जो अधिसूचित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं, ताकि प्रयोक्ता की वास्तविक समय पर सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक आधारित पहचान को सक्षम किया जा सके, साथ ही इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी निदेश के साथ लागू कानूनों के अनुपालन में डेटा अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- (8) केंद्रीय सरकार स्वयं या इस प्रयोजन के लिए अपनी ओर से प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से बीआईवीएस की आवधिक लेखा परीक्षा करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राधिकृत इकाई इस नियम के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रही है।
- (9) प्राधिकृत इकाई, समय-समय पर केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, बीआईवीएस से संबंधित कोई भी डेटा या रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी।
- (10) उप-नियम (9) के अनुसरण में प्राधिकृत संस्था द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया डेटा एन्क्रिप्टेड तरीके की वजाय सुगम प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

7. डी-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोक्ता का नामांकन और पहचान

- (1) प्राधिकृत इकाई सीएएफ और एसडीआर में प्रयोक्ता द्वारा डी-केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग करने के कारणों को दर्ज करेगी।
- (2) नियम 4 के उप-नियम (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता की डी-केवाईसी प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए, प्राधिकृत इकाई डेटा संरक्षण के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार प्रयोक्ता की सहमति प्राप्त करेगी:
- (क) लाइव फोटोग्राफ क्लिक करना या कोई अन्य जैविक गुण जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; और
- (ख) पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से लाइव फोटोग्राफ और प्रयोक्ता विवरण का सीएएफ और एसडीआर में संचयन।
- (3) प्राधिकृत इकाई पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करेगी, जैसा कि पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (4) प्राधिकृत इकाई को डी-केवाईसी प्रक्रिया की सम्पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी निदेश और अनुदेश का अनुपालन करना होगा।
- (5) जहां बीआईवीएस में विशिष्ट यूजर-आईडी वाला कोई प्रयोक्ता अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के लिए नया कनेक्शन चाहता है या पहले से सब्सक्राइब की हुई दूरसंचार सेवाओं को अपडेट करना चाहता है, ऐसे प्रयोक्ता की पहचान बीआईवीएस में उसके मौजूदा विवरण का उपयोग करके की जाएगी।

8. दूरसंचार सेवाओं को सक्रिय करना

प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के नियम 45 के अनुसार और इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी निदेश, प्रक्रिया या अनुदेश के अनुपालन में इन नियमों के तहत नामांकित प्रयोक्ताओं की दूरसंचार सेवा को सक्रिय करेगी।

9. दूरसंचार सेवाओं और प्रयोक्ता सूचना को अद्यतन करना

(1) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित परिस्थितियों में, जैसा भी लागू हो, ई-केवाईसी या डी-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोक्ता की पहचान का पुनः सत्यापन करेगी:

- (क) जब कोई प्रयोक्ता सिम कार्ड के प्रतिस्थापन या उन्नयन सहित पहले से सब्सक्राइब की हुई दूरसंचार सेवा को प्रतिस्थापित या उन्नत करना चाहता है;
- (ख) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के मामले में; और
- (ग) केंद्रीय सरकार के निदेश पर।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "पुनः सत्यापन" का अर्थ ऐसे पुनः सत्यापन के समय प्रयोक्ता के जनसांख्यिकीय विवरण की तुलना एसडीआर या बीआईवीएस में मौजूद विवरणों से करना होगा, जैसा भी मामला हो।

(2) दूरसंचार सेवा के प्रयोक्ता में परिवर्तन और इस प्रयोजन के लिए केवल रक्त संबंधियों और कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच ही अनुमत होगा और इस प्रयोजन के लिए:-

- (क) ऐसे अनुरोध के साथ मूल प्रयोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी पहचान प्राधिकृत इकाई द्वारा पुनः सत्यापित की जाएगी, और मूल प्रयोक्ता की मृत्यु की स्थिति में, ऐसे प्रयोक्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र, तथा कोई अन्य दस्तावेज जो पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो; और
- (ख) नए प्रयोक्ता को प्रदान की गई दूरसंचार सेवाओं को नए दूरसंचार सेवा कनेक्शन के रूप में माना जाएगा, और तदनुसार, प्राधिकृत इकाई ऐसे प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान करेगी।

(3) व्यवसायिक कनेक्शन में अंतिम प्रयोक्ता के परिवर्तन और इस प्रयोजन के लिए अनुमति होगी और इस प्रयोजन के लिए:-

- (क) व्यवसायी प्रयोक्ता का प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसे परिवर्तन के बारे में प्राधिकृत इकाई को तुरंत सूचित करेगा; और
- (ख) नए अंतिम प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान 7 दिनों के भीतर की जाएगी, अन्यथा प्राधिकृत इकाई ऐसे परिवर्तन की सूचना की तारीख से 7 दिनों के बाद ऐसे कनेक्शन को काट देगी।

(4) प्रीपेड से पोस्टपेड दूरसंचार सेवाओं में प्रवासन अथवा इसके विपरीत अनुरोध के संबंध में प्राधिकृत इकाई को केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

(5) उप-नियम (1) से (4) के अनुसरण में प्रयोक्ता सूचना में किए गए सभी परिवर्तनों को सीएएफ, एसडीआर और बीआईवीएस में प्राधिकृत इकाई द्वारा विधिवत अद्यतन किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता सूचना के संबंध में प्राधिकृत इकाई के अतिरिक्त दायित्व

(1) प्राधिकृत इकाई, इन नियमों के अन्य प्रावधानों में निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त, नीचे दिए गए प्रावधानों का भी अनुपालन करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ताओं को अधिनियम में दिए गए परिणामों के बारे में सूचित करेगी:

- (क) दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान स्थापित करते समय सही जानकारी प्रदान करने के उनके कर्तव्य और दायित्व;
- (ख) धोखाधड़ी, छल या छद्मवेश के माध्यम से सिम या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ता प्राप्त करना; और
- (ग) दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान स्थापित करते समय गलत विवरण प्रदान करना, कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छिपाना, या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करना।

(3) प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ताओं को सब्सक्राइब की हुई दूरसंचार सेवाओं के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित करने के बारे में सूचित करेगी; तथा सब्सक्राइब की हुई दूरसंचार सेवाओं के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग और लागू कानूनों के अनुसार तत्संबंधी परिणामों के बारे में सावधान करेगी।

(4) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि:

(क) किसी प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक सूचना और अन्य जानकारी पीओएस के उपकरणों पर संग्रहीत नहीं की जाएगी और उसे प्राधिकृत इकाई की संबंधित प्रणालियों में सुरक्षित रूप से प्रेषित किया जाएगा; और

(ख) एसडीआर और बीआईवीएस का प्रचालन और रखरखाव, डेटा संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में वर्तमान में लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में किया जाता है।

(5) जहां प्राधिकृत इकाई के संज्ञान में यह बात आती है कि प्रयोक्ता नामांकन और पहचान के दौरान झूठी, गलत या जाली सूचना या दस्तावेजों का उपयोग किया गया था, तो प्राधिकृत इकाई:

(क) झूठी, गलत या जाली सूचना या दस्तावेजों के विवरण सहित अपेक्षित विवरण के साथ पुलिस शिकायत शुरू करेगी या संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से केंद्रीय सरकार को उपर्युक्त खंड (क) के अनुसरण में उठाए गए कदमों की सूचना देगी।

(6) जहां केंद्रीय सरकार के संज्ञान में यह बात आती है कि प्राधिकृत इकाई ने उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की है, तो वह दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के तहत ऐसी प्राधिकृत इकाई के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और प्राधिकृत इकाई को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ पुलिस शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट शुरू करने का निदेश दे सकती है।

11. प्रयोक्ता के अनुरोध पर दूरसंचार सेवाओं को रोकना

(1) कोई भी प्रयोक्ता इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले से ही सब्सक्राइब की हुई दूरसंचार सेवाओं को बंद करने की मांग कर सकता है।

(2) दूरसंचार सेवाओं को डिस्केनेक्ट करने के अनुसरण में, प्राधिकृत इकाई को प्रासंगिक एसडीआर और बीआईवीएस को वास्तविक समय में अद्यतन करना होगा।

12. प्रयोक्ता के अतिरिक्त दायित्व

(1) प्रयोक्ता को इन नियमों के अन्य प्रावधानों में निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त, नीचे दिए गए प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

(2) प्रयोक्ता यह नहीं करेगा:-

(क) दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए या दूरसंचार सेवाओं को अद्यतन करते समय प्रयोक्ता पहचान की प्रक्रिया के दौरान झूठी, गलत या जाली सूचना या दस्तावेज प्रदान करना; और

(ख) अपने दूरसंचार कनेक्शन को किसी अन्य प्रयोक्ता को पुनः बेचेगा या हस्तांतरित करेगा या पट्टे पर देगा या साझा करना।

बशर्ते यह कि, यह खंड नियम 9 के उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ता के परिवर्तन को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

(3) प्रयोक्ता को अपनी प्रयोक्ता सूचना में किसी भी परिवर्तन के बारे में प्राधिकृत इकाई को तुरंत सूचित करना होगा, ताकि प्राधिकृत इकाई के सीएएफ, एसडीआर और बीआईवीएस में सूचना की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके।

(4) प्रयोक्ता के पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना नए पते के प्रमाण के साथ एक माह के भीतर प्राधिकृत इकाई को दी जाएगी तथा उक्त विवरण को प्राधिकृत इकाई द्वारा सीएएफ और एसडीआर में विधिवत अद्यतन किया जाएगा।

(5) प्रयोक्ता को ई-केवाईसी या डी-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पहचान का पुनः सत्यापन, इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आवधिकता में, जैसा भी लागू हो, करना होगा।

(6) सार्वजनिक हित में या दूरसंचार क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत दूरसंचार सेवाओं के लिए नामांकित प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत इकाई के पास उपलब्ध अपनी पहचान को आवधिकता और तरीके से पुनः सत्यापित कराना होगा, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

13. गैर-अनुपालन

(1) इन नियमों के प्रावधानों को प्राधिकरण की शर्तों और नियमों का हिस्सा माना जाएगा, और प्राधिकृत इकाई द्वारा इन नियमों का कोई उल्लंघन या गैर-अनुपालन, दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के प्रावधानों के अधीन होगा।

(2) प्रयोक्ता द्वारा इन नियमों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा।

(3) जहां केंद्रीय सरकार के संज्ञान में यह बात आती है कि प्रयोक्ता की दूरसंचार सेवाएं प्राधिकृत इकाई द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में सक्रिय कर दी गई हैं, वहां केंद्रीय सरकार प्राधिकृत इकाई को ऐसे प्रयोक्ता की दूरसंचार सेवाएं तत्काल निलंबित करने का निदेश देगी, तथा केंद्रीय सरकार से ऐसे निदेश की तारीख से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इन नियमों के अनुसार ऐसे प्रयोक्ता की पहचान का पुनः सत्यापन करेगी, अन्यथा ऐसी दूरसंचार सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।

बशर्ते यह कि उप-नियम (3) के तहत की गई कोई भी कार्रवाई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

14. विविध

(1) सीएएफ, एसडीआर और बीआईवीएस तक पहुंच, प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी प्राधिकृत एजेंसी को दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के अनुसार, पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार इन नियमों से असंगत न होने वाले स्पष्टीकरण, आदेश या प्रक्रियाएं जारी कर सकती है, जो इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

15. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन

अधिनियम की धारा 53 को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय सरकार इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल अधिसूचित कर सकती है, जिसमें प्रासंगिक प्रपत्रों का प्रकाशन, पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेजों की सूची, इन नियमों के तहत विनिर्दिष्ट निदेश और दिशा-निर्देश शामिल हैं।

[फा.सं. 24-09/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2025

G.S.R. 691(E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 3, read with clause (e) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi - 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title and commencement. –

- (1) These rules may be called the Telecommunications (User Identification) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. –

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires: -

- (a) “Aadhaar number” shall have the meaning assigned to it under clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);
- (b) “Aadhaar number holder” shall have the meaning assigned to it under clause (b) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);
- (c) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
- (d) “Biometric Identity Verification System” or “BIVS” means a system for biometric based identification of a user established by an authorised entity in accordance with rule 6;
- (e) “business connection” shall have the same meaning assigned to it in clause (a) of sub-rule (1) of rule 46 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (f) “business user” shall have the same meaning assigned to it in clause (b) of sub-rule (1) of rule 46 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (g) “CAF” shall have the same meaning as assigned to it under clause (v) of sub-rule (1) of rule 2 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (h) “core biometric information” shall have the meaning assigned to it under clause (j) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)
- (i) “D-KYC” or “digital KYC” means the digital process for enrolment and identification of user in accordance with rule 7 and D-KYC process shall be construed accordingly;
- (j) “e-KYC” means the “e-KYC authentication facility” as defined in clause (j) to sub-regulation (1) of regulation 2 of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021 and e-KYC process shall be construed accordingly;
- (k) “end user” shall have the same meaning assigned to it in clause (c) of sub-rule (1) of rule 46 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (l) “live photograph” means a real-time photograph of the user taken during enrolment for availing telecommunication services in the form and manner as may be specified by the Central Government on the portal, using technology capable of verifying that the image is of a living person physically present at the time of enrolment, and not a photograph of a still image or video of such user;

- (m) “notified telecommunication services” means such telecommunication services as may be notified by Central Government under sub-section (7) of the Section 3 of the Act;
- (n) “Point of Sale” or “PoS” shall have the same meaning assigned to it in Part B of Chapter 6 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (o) “portal” means the portal as notified by the Central Government under rule 15;
- (p) “SIM” shall have the same meaning assigned to it in clause (bbbb) of sub-rule (1) of rule 2 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (q) “Subscriber Database Record” or “SDR” shall have the same meaning as assigned to it under clause (dddd) of sub-rule (1) of rule 2 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (r) “UIDAI” means Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016); and
- (s) “updating of telecommunication services” shall have the same meaning as assigned to it in clause (iii) of sub-rule (1) of rule 2 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or such rules.

3. Applicability. –

- (1) These rules shall be applicable to:
- (a) entities providing notified telecommunication services, whether such entity holds authorisation under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act or a license in accordance with sub-section (6) of section 3 of the Act, which shall each be referred to as “authorised entity” for the purpose of these rules; and
- (b) users of notified telecommunication services.

4. Principles and objectives. –

- (1) These rules provide a framework for the biometric based identification of users of notified telecommunication services.
- (2) An authorised entity shall use the following process for enrolment and identification of the users:
- (a) e-KYC process under rule 5 in respect of a user who is a Aadhaar number holder; and
- (b) D-KYC process under rule 7 in respect of a user who does not possess an Aadhaar number or is unable to undergo the e-KYC process set forth in rule 5.
- (3) While the e-KYC process itself ensures biometric based identification of users, an authorised entity shall identify the users enrolled through D-KYC process using BIVS in accordance with the rule 6 and rule 7.
- (4) The D-KYC process, where ever mentioned in these rules, shall be followed by biometric based identification of the users through BIVS in accordance with the rule 6 and rule 7.
- (5) These rules are limited to the biometric based identification of users of notified telecommunication services, and any activation of telecommunication services shall be undertaken by an authorised entity in accordance with rule 45 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025 or in compliance with any directions, procedures or instructions as may be specified by the Central Government from time to time in this regard.

(6) Where the user is a business user seeking business connection, an authorised entity shall undertake biometric based identification, as applicable, of the authorised representative of such business user, as well as of each end user of such business connection.

Provided that the requirement of biometric based identification of each end user of a business connection can be exempted on case-to-case basis and for this purpose, the authorised representative of business user shall make a request with necessary justification to the Central Government or its authorised agency.

5. Enrolment and identification of user through e-KYC process. –

(1) To enable e-KYC authentication of a user, who is a Aadhaar number holder, an authorised entity shall:

(a) comply with the applicable provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) and regulations thereunder;

(b) obtain the consent of the user, in accordance with applicable laws in respect of data protection, for:

(i) clicking his live photograph or any other biological attributes of an individual as may be specified by the Central Government; and

(ii) storage of the live photograph and information including complete Aadhaar number in unmasked form, as received from UIDAI, other than core biometric information, in the CAF and SDR, in the form and manner as may be specified by the Central Government on the portal.

(2) The authorised entity may also, in accordance with the directions or instructions specified by the Central Government, allow users to comply with the process of e-KYC set forth under sub-rule (1), by using the self-KYC process on the relevant website or mobile application of such authorised entity.

(3) The authorised entity shall also comply with any directions or instructions as may be specified by the Central Government in relation to sub-rule (1) and sub-rule (2).

6. Establishment and functions of Biometric Identity Verification System. –

(1) Each authorised entity, before providing notified telecommunication services, shall, individually or collectively with such other authorised entities, establish, operate, maintain and expand BIVS for biometric based identification of user, using live photograph or any other biological attributes of an individual as may be specified by the Central Government on the portal.

(2) The BIVS established under sub-rule (1) shall comply with the directions as specified and standards, including those relating to security, as notified by the Central Government.

(3) Each user, while enrolling for the notified telecommunication services or updating the already subscribed telecommunication services through either of the process as specified in sub-rule (2) of rule 4, shall be assigned a unique user-id in the BIVS which shall be used by an authorised entity solely for the purpose of identification of the user and updating the number of connections as per clause (b) of sub-rule (4):

Provided that the Central Government may direct authorised entities to assign unique user-id in the BIVS, in the manner as may be specified by the Central Government on the portal, to the existing users in the SDR and the authorised entities shall comply with such directions within the timelines specified therein.

(4) The authorised entity shall ensure compliance with the following provisions in respect of the BIVS:

(a) storing and maintaining the user information relating to name, gender, date of birth, live photograph, unique user-id and any other information as may be specified by the Central Government on the portal from time to time;

(b) storing, maintaining and updating the number of connections of each type of notified telecommunication service provided to a user by all authorised entities;

- (c) maintaining encryption and access controls that ensure that such information is non-repudiable and immutable;
- (d) ensuring that access to such information is restricted to such authorised entities only who would have established BIVS under sub-rule (1);
- (e) maintaining records of all the actions performed on the BIVS;
- (f) ensuring that such data is stored in a secure and safe manner; and
- (g) detecting non-compliances by any other authorised entity or discrepancies in information stored in the BIVS and taking immediate action to effectively ensure compliance with these rules or any other directions of the Central Government in this regard.
- (5) The authorised entity shall comply with any directions and instructions specified by the Central Government in relation to the process for biometric based identification of a user through the BIVS.
- (6) Each authorised entity shall, while updating the number of connections provided to a user in BIVS, inform such user through its existing telecommunication identifiers, of such updated number of connections.
- (7) The user information maintained by an authorised entity in BIVS shall be shared with all other authorised entities, providing notified telecommunication services, to enable real-time verifiable biometric based identification of user, while ensuring data integrity and privacy in compliance with the applicable laws along with any directions as may be specified by the Central Government for this purpose.
- (8) The Central Government shall, through itself or through an agency authorised on its behalf for this purpose, conduct periodic audits of the BIVS to ensure compliance by the authorised entity with its obligations under this rule.
- (9) The authorised entity shall provide any data or records pertaining to BIVS, as requested by the Central Government or authorised agency from time to time.
- (10) The data submitted by the authorised entity to the Central Government pursuant to sub-rule (9) shall be provided in an intelligible format, and not in an encrypted manner.

7. Enrolment and identification of user through D-KYC process.—

- (1) The authorised entity shall record in the CAF and SDR the reasons for a user using D-KYC process.
- (2) To enable D-KYC process of a user specified in clause (b) of sub-rule (2) of rule 4, an authorised entity shall obtain the consent of the user in accordance with applicable laws in respect of data protection, for:
- (a) clicking his live photograph or any other biological attributes of an individual as may be specified by the Central Government; and
- (b) storage of his live photograph and user details in the CAF and SDR, in the form and manner as may be specified by the Central Government on the portal.
- (3) The authorised entity shall obtain a copy of such documents relating to proof of identity and proof of address as may be specified by the Central Government on the portal.
- (4) The authorised entity shall comply with any directions and instructions specified by the Central Government in relation to the complete procedure for D-KYC process.
- (5) Where a user having a unique user-id in the BIVS seeks a new connection for notified telecommunication services or updating the already subscribed telecommunication services, such user shall be identified using its existing details in the BIVS.

8. Activation of telecommunication services.—

The authorised entity shall activate the telecommunication service of the users enrolled under these rules in accordance with rule 45 of the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025 and in compliance with any directions, procedures or instructions as may be specified by the Central Government from time to time in this regard.

9. Updating of telecommunication services and user information.—

(1) An authorised entity shall re-verify the identity of a user through e-KYC or D-KYC process, as applicable, in the following circumstances:

- (a) when a user seeks to replace or upgrade an already subscribed telecommunication service including replacement or upgradation of a SIM card;
- (b) in case of Mobile Number Portability; and
- (c) on directions of the Central Government.

Explanation: For the purpose of these rules, “re-verify” shall mean to compare the demographic details of the user at the time of such reverification to the details existing in the SDR or BIVS, as the case may be.

(2) Change of user of a telecommunication service shall be permitted only between blood relatives and legal heirs, and for this purpose:

- (a) such request shall be accompanied by a submission of a no objection certificate from the original user whose identity shall be re-verified by the authorised entity, and in case of death of the original user, the death certificate of such user, and any other document as may be specified by the Central Government on the portal; and
- (b) telecommunication services provided to the new user shall be treated as a new telecommunication service connection, and accordingly, the authorised entity shall carry out biometric based identification of such user.

(3) Change of end user in a business connection shall be permitted, and for this purpose:

- (a) the authorised representative of the business user shall inform the authorised entity about such change immediately; and
- (b) biometric based identification of new end user shall be carried out within 7 days failing which the authorised entity shall disconnect such connection after 7 days from the date of intimation of such change.

(4) An authorised entity shall comply with the instructions specified by the Central Government in respect of any request by a user for migration from prepaid to postpaid telecommunication services or vice-versa.

(5) All changes to user information undertaken in furtherance of sub-rule (1) to (4), shall be duly updated by the authorised entity in the CAF, SDR and BIVS.

10. Additional obligations of authorised entity with regard to user information.—

(1) The authorised entity shall, in addition to the obligations set out in other provisions of these rules, comply with the provisions set forth below.

(2) The authorised entity shall inform users of consequences provided in the Act for:

- (a) their duties and obligations to provide correct information when establishing identity for availing of telecommunication services;
- (b) obtaining SIMs or other telecommunication identifiers through fraud, cheating or personation; and

- (c) providing false particulars, suppressing any material information, or impersonating another person, while establishing his identity for availing of telecommunication services.
- (3) The authorised entity shall inform users of ensuring bona fide use of the subscribed telecommunication services; and caution about any kind of misuse of the subscribed telecommunication services and corresponding consequences as per the applicable laws.
- (4) The authorised entity shall ensure that:
- biometric information and other information of a user shall not be stored on PoS's devices and be securely transmitted to the relevant systems of the authorised entity; and
 - the SDR and BIVS are operated and maintained in compliance with the applicable laws, rules and regulations in relation to data protection and security for the time being in force.
- (5) Where it comes to the notice of an authorised entity that false, incorrect, or forged information or documents were used during user enrolment and identification, the authorised entity shall:
- initiate a police complaint or file a first information report with the relevant law enforcement agency with the requisite details, including the details of the false, incorrect, or forged information or documents; and
 - notify to the Central Government, in the form and manner as may be specified for this purpose, the steps taken pursuant to clause (a) above.
- (6) Where it comes to the notice of the Central Government that an authorised entity has not taken any action as specified in sub-rule (5) above, it may take action against such authorised entity under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025 and may direct the authorised entity to initiate a police complaint or first information report with the relevant law enforcement agency.

11. Disconnection of telecommunication services on request of user. –

- A user may seek disconnection of already subscribed telecommunication services in accordance with the directions and guidelines as may be specified by the Central Government for this purpose.
- An authorised entity shall update the relevant SDR and BIVS in real time, pursuant to any disconnection of telecommunication services.

12. Additional Obligations of user. –

- A user shall, in addition to the obligations set out in other provisions of these rules, comply with the provisions set forth below.
- A user shall not:
 - provide false, incorrect, or forged information or documents during the process of user identification, for availing telecommunication services or while updating of telecommunication services; and
 - resell or transfer or lease or share his telecommunication connection to any other user:
Provided that, this clause shall not restrict the change of user of telecommunication services as per sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 9.
- The user shall promptly notify the authorised entity of any changes to their user information to ensure the accuracy and integrity of the information in the authorised entity's CAF, SDR and BIVS.
- Any change in address of user shall be intimated to the authorised entity within one month of such change along with proof of new address and the said details shall be duly updated in the CAF and SDR by the authorised entity.
- A user shall re-verify its identity through e-KYC or D-KYC process, as applicable, in a periodicity as may be specified by the Central Government for this purpose.

(6) In the public interest or for orderly growth of the telecommunication sector, users enrolled for telecommunication services under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) shall be required to re-verify their identity available with the authorised entity in a periodicity and manner as may be specified by the Central Government for this purpose.

13. Non-compliance. –

(1) The provisions of these rules shall be deemed to be the part of the terms and conditions of authorisation, and any violation or non-compliance of these rules by an authorised entity, shall be subject to the provisions of the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.

(2) Any violation or non-compliance of these rules by a user, shall be subject to the provisions of the Act.

(3) Where it comes to the notice of the Central Government that the telecommunication services of a user has been activated by an authorised entity in contravention of these rules, the Central Government shall direct the authorised entity to suspend the telecommunication services of such user immediately, and re-verify the identity of such user in accordance with these rules within a specified period from the date of such direction from the Central Government failing which, such telecommunication services shall be disconnected.

Provided that any action taken under sub-rule (3) shall be without prejudice to any proceedings under the relevant provisions of the Act.

14. Miscellaneous. –

(1) The access to CAF, SDR and BIVS shall be made available by the authorised entity to the Central Government or an authorised agency in accordance with the Telecommunications (Authorisation For Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025 in the form and manner as may be specified by the Central Government on the portal.

(2) The Central Government may issue clarifications, orders or procedures, not inconsistent with these rules, which are necessary for the purpose of giving effect to these rules.

15. Digital implementation of these rules. –

The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules, including publication of relevant forms, list of proof of identity and proof of address documents, directions and guidelines specified under these rules.

[F No. 24-09/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.